



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



16 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 140 राँची, बुधवार,

6 मार्च, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2017

संख्या-2/भू०अभि०परि० निदे० (सर्वे/रिसर्वे)-47/2016/रा-731--छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-80, और धारा-81 सह वाचित धारा-127 के उपधारा-(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल आदेश देते हैं कि पूर्व अधिसूचित अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-1669 दिनांक-23.12.1975 में Method using High Resolution Satellite Imagery Supported by Ground Truthing using Differential GPS and/or Total Station आधुनिक तकनीक (Modern Technology) का समावेश करते हुए राँची, खूँटी, सिमडेगा जिला के स्थानीय सीमा के अंतर्गत जितनी भी भूमि है, में कुल-875 राजस्व ग्राम असर्वेक्षित (किस्तवार, खानापुरी एवं तसदीक कार्य) रह गये हैं, का भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जाय और अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए, जिसमें जिले के अंतर्गत अवस्थित रेलवे एवं सरकारी भूमि भी सम्मिलित है।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जायेगा, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XVI, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित हैं और वे क्षेत्र जो नगर निगम/नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत आते हैं।

कथित सर्वे में निम्नांकित विवरणी दर्ज की जाएगी और निम्नांकित अभिलेख तैयार किये जायेंगे :-

- (क) प्रत्येक भू-धारी या दखलकार का नाम ।
- (ख) अभिधारी (काश्तकार) का वर्ग जैसे, मुण्डारी खुँटकट्टीदार, कायमी रैयत, दखलकार रैयत, गैर दखलकार रैयत, खुँटकट्टी हक प्राप्त रैयत, दर-रैयत व अन्य ।
- (ग) परिस्थिति और मात्रा एवं प्रत्येक रैयत तथा दखलकार जिसके अन्तर्गत एक या अधिक सीमा/सीमाओं वाली जमीन हो ।
- (घ) अधिकार अभिलेख लिखे जाते समय भुगतान किया जाने वाला लगान, लगान निर्धारण का तरीका, आपसी समझौता, न्यायालय का आदेश व अन्य ।
- (ङ) यदि लगान बढ़ा है तो उसका समय और कार्यवाही जिसके तहत यह बढ़ाया गया है।
- (च) काश्त का विशेष शर्त और प्रभाव यदि कोई हो ।
- (छ) यदि यह दावा किया जाता है कि कोई जमीन लगान मुक्त है तो लगान का भुगतान हुआ है अथवा नहीं, और अगर लगान का भुगतान नहीं हुआ है तो दखलकार को बिना लगान दिए हुए जमीन रखने का हक है अथवा नहीं, यदि रैयत को यह अधिकार मिला है तो किस अधिकार के तहत उसे यह मिला है ।
- (ज) (i) जिस गाँव का अधिकार अभिलेख बन रहा है वहाँ सरकार या रैयत की परती भूमि पर या चरवाही के लिए किसी जमीन पर, मछली मारने या इसी प्रकार के अन्य अधिकार की प्रकृति एवं सीमा ।
(ii) किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के अधिकारों के लिए देय राशि ।
- (झ) जंगल या परती भूमि पर रैयत को कोड़कर बनाने का अधिकार ।
- (ञ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख बन रहा है उससे जुड़ा कोई भोगाधिकार ।
- (ट) प्रत्येक रैयत और सरकार के अधिकार -**
 - (i) रैयत के द्वारा कृषि के प्रयोजन के लिए नदी, झील, तालाब, कुआँ और किसी अन्य स्रोत से पानी आ सकता है ।
 - (ii) सिंचाई के उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव जिनके द्वारा प्रत्येक खेतिहर के जमीन को पानी की आपूर्ति की जाती है, चाहे इस प्रकार का उपकरण प्रभावित जमीन की सीमा के अन्तर्गत स्थित हो अथवा नहीं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उल्लिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नांकित प्रविष्टियाँ उनके संगत कॉलम/अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज किए जाए :-

- (क) खुँटकट्टी हक प्राप्त सभी रैयत ।
- (ख) गाँव का मुखिया या गाँव के समूह का प्रधान, चाहे वे प्रधान के नाम से जाने जाते हों या मानकी-मुण्डा, माँझी या अन्य नाम से ।
- (ग) नाजायाज तरीके से हस्तांतरित अनुसूचित जनजातियों की जमीन ।
- (घ) खुँटकट्टी हक प्राप्त रैयत के द्वारा दिए जाने वाले लगान का निर्धारण ।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की कंडिका 2 क्लॉज (ख) और (झ) को लेकर उन क्षेत्रों का अधिकार अभिलेख तैयार नहीं किया जाएगा जो उस क्षेत्र के दायरे में आते हैं जो कंडिका 1 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XVI, 1927) के मार्फत संरक्षित वन घोषित हैं और वे क्षेत्र जो नगर निगम, नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत आते हैं ।

अनुलग्नक-875 असर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की सूची :-

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।
